न्यायालय उपजिला कलैक्टर एव उपजिला मजि० बॉदीकुई जिला दौसा

मु.न. 275/2022
दिनांक 16.10..2024

उनवान

1. सत्यप्रकाश दत्तक पत्र गोविन्द उर्फ गोविन्दनारायण जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा ।

प्रार्थी.....।

बनाम

1. ममता बेवा रामप्रताप उम्र 75 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय बॉदीकुई जिला दौसा ।

अप्रार्थीगण.....।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

दिनांक 16.10.2024

प्रार्थी की ओर विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में जरिये वकील पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– प्रार्थी ने अप्रार्थीगण व अन्य के विरूद्ध एक दावा आज जुदागाना न्यायालय हाजा में सम्पुष्ट आधारो पर पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है । भूमि खाता संख्या नया 9 पुराना 7 खसरा नम्बरान 649 रकबा 1.46 है0 बारानी एक, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.53 है0 बारानी एक, खसरा नम्बरि 675 रकबा 1.11 है0 बारानी एक खसरा नम्बर 676 रकबा 0.59 है० बारानी एक खसरा नम्बर 677 रकबा 0. 37 है० बारानी एक, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.01 है० गै० मु० चाह, खसरा नम्बर 679 रकबा 0.35 है०, बारानी एक, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.53 है० बारानीएक, कुल किता 8 कुल रकबा 4.85 है0 लागानी 58.08 रूपये वाके ग्राम नन्देरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित है नकल जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है। भूमि मुतदाविया में प्रार्थी का वर्तमान जमाबदी में 1/8 हिस्सा तथा दावे के प्रतिवादी नं0 1 व 2 का कमशः 1/4, 1/4 हिस्सा तथा दावे के प्रतिवादी नं0 3 व 4 के मृतक पिता जगदीश का 1/4 तथा अप्रार्थी नं० 1 का 1/8 हिस्सा दर्ज है। भूमि मुतदाविया में पूर्व में प्रार्थी के दत्तक पिता गोविन्द उर्फ गोविन्दनारायण का 1/4 हिस्सा दर्ज था तथा उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थी एक मात्र वारिश दत्तक पुत्र संतान होने से विरासत से 1/4 हिस्से का खातेदार है

Scanned with OKEN Scanner

तथा 1/4 हिस्से पर अपने दत्तक पिता गोविन्द उर्फ गोविन्दनारायण के जीवन काल से ही काबिज काश्त होकर उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। गोविन्द उर्फ गोविन्दनारायण प्रार्थी का पिता का अप्रार्थी नं० 1 से सन 1973 के करीब विवाह हुआ था लेकिन विवाह के बाद उनके आपस मे बतौर पति पत्नि कोई सम्बन्ध कायम नही हुये तथा उसी समय अप्रार्थी नं० 1 समाज के मौजिज नागरिको व अन्य भाईबन्धो के समक्ष विवाह विच्छेद करके चली गयी तथा उसने हिन्दू विधि के उर्फ रामप्रसाद अनुसार रामप्रताप शर्मा निवासी कल्याणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर से विवाह कर लिया। इससे उसके कमशः पांच संताने तीन पुत्री व दो पुत्र पैदा हुये है जिनमें तीनो पुत्री विवाहित है तथा अपनी सुसराल आबाद है । तथा एक पुत्र राजू की मृत्यु हो चुकी है तथा उर्फ रामप्रसाद एक पुत्र सोनू जीवित है। तथा अप्रार्थी नं० 1 के पति रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद फौत हो चुका है। अप्रार्थी स० 1 अपने मृतक पति रामप्रताप के ग्राम कल्याणपुरा पंचायत समिति रैणी जिला अलवर में आबाद है उसका किसी भी प्रकार भूमि मुतदाविया में प्रार्थी दत्तक पिता गोविन्दनारायण के 1/4 हिस्से से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है प्रार्थी ही एक मात्र वारिश मृतक गोविन्द उर्फ गोविन्दनारायण का दत्तक पुत्र है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार उसे ही भूमि मुतदाविया में 1/4 हिस्से की खातेदारी विरासत से प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन राजस्व अधिकारीयों से अप्रार्थी नं0 1 ने सांज करके बिना किसी विधिक अधिकार के गोविन्दनारायण उर्फ गोविन्दा की पत्नि होने का झूठा ब्यौरा देकर उसका वारिश बन कर वसियत से 1/8 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 680 दिनांकित 15/4/2019 को दिनांक 9/11/2022 को अप्रार्थी नं0 2 के यहां पंजीयन करवा दिया। जबकि अप्रार्थी नं० 1 का प्रार्थी के मृतक दत्तक पिता गोविन्दा उर्फ गोविन्द नारायण के जीवन काल में कभी भी बतौर पति पत्नि सम्बन्ध कायम नही हुये तथा उसने उसके जीवन काल में ही उससे विवाह सम्बन्ध समाप्त करके दीगर सख्स रामप्रताप के साथ विवाह कर लिया। तथा उसी के साथ बतौर पत्नि जीवनयापन किया जिससे उसके पांच पुत्र/पुत्री संतान मौजूद है । अप्रार्थी नं० 1 द्वारा मृतक गोविन्दा उर्फ गोविन्दनारायण के भूमि मुतदाविया में 1/4 हिस्से का अवैध नामान्तकरण 1/8 हिस्से का खुलवा कर जमाबंदी में जो हिस्सा दर्ज करवाया है उक्त नामान्तकरण व उक्त जमाबंदी मे उक्त गलत इन्द्राज 1/8 हिस्से अप्रार्थी नं० 1 विरूद्ध प्रार्थी शुरू से ही काले अदम गैरमौशर प्रभावहीन व शून्य है। तथा प्रार्थी न्यायालय हाजा से उन्हे शून्य घोषित करवाकर मृतक गोविन्दा उर्फ गोविन्दनारायण के 1/4 हिस्से सम्पूर्ण की खातेदारी अपने नाम बहैसियत दत्तक पुत्र करवाने की उदघोषणा न्यायालय हाजा से करवाने का अधिकारी है। किसी भी प्रकार भूमि मुतदाविया में प्रार्थी दत्तक पिता गोविन्दनारायण के 1/4 हिस्से से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है प्रार्थी ही एक मात्र वारिश मृतक गोविन्द उर्फ गोविन्दनारायण का दत्तक पुत्र है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार उसे ही भूमि मुतदाविया में 1/4 हिस्से की खातेदारी विरासत से प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन राजस्व अधिकारीयों से अप्रार्थी नं0 1 ने सांज करके बिना किसी विधिक अधिकार के गोविन्दनारायण उर्फ गोविन्दा की पत्नि होने का झूठा ब्यौरा देकर उसका

वारिश बन कर वसियत से 1/8 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 680 दिनांकित 15/4/2019 को दिनांक 9/11/2022 को अप्रार्थी नं0 2 के यहां पंजीयन करवा दिया। जबकि अप्रार्थी नं० 1 का प्रार्थी के मृतक दत्तक पिता गोविन्दा उर्फ गोविन्दनारायण के जीवन काल में कभी भी बतौर पति पत्नि सम्बन्ध कायम नही हुये तथा उसने उसके जीवन काल में ही उससे विवाह सम्बन्ध समाप्त करके दीगर सख्स रामप्रताप के साथ विवाह कर लिया। तथा उसी के साथ बतौर पत्नि जीवनयापन किया जिससे उसके पांच पुत्र/पुत्री संतान मौजूद है । अप्रार्थी नं० 1 द्वारा मृतक गोविन्दा उर्फ गोविन्दनारायण के भूमि मुतदाविया में 1/4 हिस्से का अवैध नामान्तकरण 1/8 हिस्से का खुलवा कर जमाबंदी में जो हिस्सा दर्ज करवाया है उक्त नामान्तकरण व उक्त जमाबंदी मे उक्त गलत इन्द्राज 1/8 हिस्से अप्रार्थी नं० 1 विरुद्ध प्रार्थी शुरु से ही काले अदम गैरमौशर प्रभावहीन व शून्य है। तथा प्रार्थी न्यायालय हाजा से उन्हे शून्य घोषित करवाकर मृतक गोविन्दा उर्फ गोविन्दनारायण के 1/4 हिस्से सम्पूर्ण की खातेदारी अपने नाम बहैसियत दत्तक पुत्र करवाने की उदघोषणा न्यायालय हाजा से करवाने का अधिकारी है । दावे के प्रतिवादी नं० 1 के पोत्र लेखराज जो कि प्रार्थी से रंजिश रखता है तथा उनके पूर्व से भी मुकदमें बाजी चल रही हैं उसने प्रार्थी को दिनांक 7/12/2022 को धमकि देकर कहा कि हमने अप्रार्थी नं० 1 का नामान्तकरण हल्का पटवारी गिरदावर व तहसीलदार से साज करके उसके नाम खुलवा दिया है इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी नं० 1 के बारे जानकारी कर उसे उक्त फर्जी नामान्तकरण के बारे में अवगत करवा कर नामान्तकरण कैन्सिल करवाने के लिये निवेदन किया तो उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया इस पर प्रार्थी ने हल्का पटवारी से नकल के लिये आवेदन पेश करके दिनांक 9/12/2022 को नकल प्राप्त करने से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है । प्रथम दृष्टया केश सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति का सिद्धान्त मिन प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी नं0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 2 को या उसके किसी भी भू–भाग को अप्रार्थी नं० 1 स्वय या अपने ऐजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के भूमि मुतदाविया में दर्ज अपने 1/8 हिस्से को रहन बय करने के लिये सदैव सदैव के लिये पाबंद रहें। प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। भूमि मुतदाविया की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण प्रार्थी को सुनकर दिनांक 12.12.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न है:– प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर एक में दावा पेश किया जाना स्वीकार है बकिया तथ्य कतई गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 2 सही है स्वीकार है । प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 4 कतई गलत है अस्वीकार है । क्योंकि जो नामान्तकरण खोला गया है वह बिलकुल जाँच कर अपने मृतक पति के हिस्से का नामान्तकरण दर्ज

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है । प्रार्थी को दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । विपक्षीया का कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 5 कतई गलत है अस्वीकार है क्यों कि विपक्षीया संख्या एक को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है क्यों कि विपक्षीया संख्या 1 आज भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है । एवंम प्रार्थी वादी को कभी भी कोई गौद नहीं लिया अगर कोई भी गोदनामा पति व पत्नि की सहमति के बिना गौदनामा मान्य नहीं है एवम् गौदनामा की प्रति भी पेश नहीं की गयी है। मात्र जमीन हड़पने की गरज से ढूंढे तथ्यों पर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 6 गलत है स्वीकार नहीं है मात्र विपक्षी संख्या एक को हैरान व परेशान करने की गरज से दावा व दरख्वास्त पेश किया है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 7 कतई गलत है स्वीकार नहीं है । मात्र गलत तथ्यों पर यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किये है जिसमें प्रार्थी को कोई सफलता हासिल नहीं होगी जो नामान्तकरण खोला गया है वह विधि सम्वत एवंम पति की सम्पत्ति में पत्नि का अधिकार होता है। इसलिये सही तथय एंवम् कानून के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया है प्रार्थी को कोई गौद नहीं लिया है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 8 गलत है स्वीकार नहीं है । प्राइमा पैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनिय क्षति के सिद्धान्त बमुकाबिले प्रार्थी, विपक्षीया के पक्ष में है। यह है कि प्रार्थना पत्र में चाही गयी दादरसी गलत है स्वीकार नहीं है । नामान्तकरण खोला गया है वह बिलकुल जाँच कर अपने मृतक पति के हिस्से का नामानन्तकरण दर्ज किया गया है, पार्थी को वाद व पार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विपक्षीया का कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। विपक्षीया सँख्या एक आज भी अपने हित्ते की भूमि पर काबिज काश्त है ऐसी सूरत में विपक्षी तैश्या एक को उसके हित्ते की भूमि से जबरनवेदखल नहीं किया जा सकता है क्यों कि आज भी अपने हित्से की भूमि पर काबिज काइत है एवम प्रार्थी को कभी भी कोई गौद नहीं लिया। अगर कोई भी गौदनामा पति व पत्नि की सहमति के बिना गौदनामा मान्य नहीं है एंवम गोदनामा की पति भी कोई पेश नहीं की है। मात्र जमीन को अपने की गरज से बैठे तथ्यों पर दावा व दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किये गये हैं।प्रार्थी द्वाराा मात्र विपक्षी को हैरान व परेशान करने की गरज से दावा व दरख्वास्त पेश किये है जिसमें प्राथी को कोई सफलता हासिल नहीं होगी जो नामान्तरण खोला गया वह विधि सम्मत एवं पति को सम्पत्ति में पत्नि का अधिकार होता है इसलिये सही तथ्य एवम् कानून के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया है प्रार्थी को कोई गौद नहीं लिया है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे तर्क दिया है कि वादग्रस्त भूमि में जो नामान्तरण खोला गया है वह विधिसम्वत खोला गया है। प्रार्थी का अप्रार्थी की भूमि से कोई संबंध सरोकर नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दावा पत्रावली का अवलोकन किया गया है। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 9 पुराना 7 ग्राम नन्देरा अप्रार्थी संख्या 1 की अन्य खातेदारो के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी खातेदार दर्ज नही है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के साथ अन्य खातेदारान भी है। अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रखने से अन्य खातेदारान को कृषि भूमि के लाभ प्राप्त नही होगे। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है जो मूल वाद में साक्ष्य/सबूतो के आधार पर तय किया जाना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि भूमि वादग्रस्त ग्राम नन्देरा के खाता संख्या नया 9 पुराना 7 के खसरा नम्बर 649,651, 675 लगा. 679,681 कुल किता 8 कुल रकबा 4.85 हैक्टे में दिनांक 12.12.2022 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल वाद के संलग्न हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 16.10.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

16.10.24
(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner